राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

——

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 1568—अध्यक्ष / 15 जिला ग्वालियर

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 9—7—2015 | आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 29—5—2015 की सत्य प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष प्रथम दृष्टया विधिसंगत है कि प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधार पर नही किया जाकर गुणदोष पर करना न्याय की मंशा है । उक्त निष्कर्ष के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक को तत्काल शेष पक्षकार के संयोजन करने का निर्देश देने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br><br>**(मनोज गोयल)**<br>**अध्यक्ष** | |

5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES COURT FEE
विलोपित विलोपित

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल म०प्र० ,ग्वालियर

प्र०क्र० ।२०१४-१५ । निगरानी निगरानी 1568-PBR-15

श्री एस० एन० शर्मा अभि० द्वारा आज दि 16.6.15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

(१) छत्रसाल सिंह पुत्र श्री भीकम सिंह
आयु ४५ वर्ष व्यवसाय कृषि

(२) राघवेन्द्र सिंह पुत्र श्री भीकमसिंह
व्यवसाय कृषि निवासी-गण आदर्श कोलोनी
काल्पी ब्रिज मुरार ।

------------ प्रार्थीगण

बनाम

बलदेव सिंह भदौरिया पुत्र श्री बलवीरसिंह
भदौरिया निवासी - एम०आई०जी० १२०
दर्पण कोलोनी मुरार ,ग्वालियर ।

--------- प्रतिप्रार्थी

एस. एन. शर्मा एडवोकेट

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू० रा०संहिता विरुद्ध पारित
द्वारा श्री अखलेश जैन अनुविभागीय अधिकारी मुरार ,ग्वालियर
प्र०क्र० १३ ।२०१३-१४ अपील आदेश दिनांक २६-५-२०१५ ।